

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग

अधिसूचना

सं- 2471
09/10/14

झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् की दिनांक 27.09.2014 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पद रिक्त रहने एवं सामान्य जाति से भरे जाने तथा मेडिकल कॉलेजों में सीट घटाये जाने के बिन्दु पर केन्द्र सरकार में भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम०सी०आई०) तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर अनुसूचित जनजाति के छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत कराने एवं प्रभावी ढंग से अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के हितों के संबंध में विचार रखने हेतु परिषद् की एक उपसमिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1. श्रीमती गीताश्री उराँव, स०वि०स०/मंत्री — अध्यक्ष।
2. श्रीमती गीता कोड़ा, स०वि०स० — सदस्य।
3. श्री बंधु तिर्की, स०वि०स० — सदस्य।
4. श्री दीपक बिरुआ, स०वि०स० — सदस्य।
5. श्री प्रेमचंद मुर्मू, स०वि०स० — सदस्य।

2. इसकी सूचना सभी सम्बन्धित को दी जा रही है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(सुनील कुमार वर्णवाल)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 4/टी0ए0सी0-08/11-क0- 2471

राँची, दिनांक- 09/10/14

प्रतिलिपि:- माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, कल्याण के आप्त सचिव/उपसमिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य/मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड//सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार वर्णवाल)

सरकार के सचिव।